



2026:AHC:180931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30346 / 2026

विजय सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शेखर सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनन्द द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर ले ली गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनन्द को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 274/2026 अंतर्गत धारा 105 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - शाहगंज, जिला - आगरा में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचनादाता की पत्नी को चोटें आईं और 13.06.2026 को लगभग 17:51 बजे चारदीवारी गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, जांच रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मृत्यु की सूचना उनके बेटे द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन को

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15.06.2026 को लगभग 13:00 बजे दी गई थी। कथित घटना का समय न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज सूचनादाता के बयान में उल्लिखित है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले 15.06.2026 को जांच कार्यवाही की गई थी, और सूचनादाता स्वयं जांच कार्यवाही के साक्षियों में से एक था, फिर भी जांच रिपोर्ट में कथित घटना या आवेदक के विरुद्ध किसी भी आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद 15.06.2026 को 17:15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें आवेदक को अभियुक्त बनाया गया। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और मृतक के कथित लापता होने के संबंध में 15.06.2026 से पहले पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। आवेदक, जो सूचनादाता का पड़ोसी है, को पुरानी दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। आवेदक 19.06.2026 से जेल/कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि कथित घटना के समय का उल्लेख न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज सूचनादाता के बयान में है। जांच रिपोर्ट में भी कथित घटना या आवेदक के विरुद्ध किसी आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और मृतक के कथित लापता होने के संबंध में 15.06.2026 से पहले पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई सम्पोषक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या साक्षी को डराएगा, इसलिए, मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - विजय सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये कि वह :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अगस्त 31, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।